

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठारथीन अधिकारी सांवर मल वर्गा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 281/2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/306)
छोदया पुत्र गोती जाति गुर्जर निवासी ग्राम सेवतीकलां तहसील खण्डार तहसील
बहरावण्डाकला जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां जिला सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश अति०
जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु०नं० 72/2018 निर्णय 30.7.2018
(75 एल.आर.एक्ट) व नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां निर्णय
दिनांक 05.10.2010 (91 एल आर एक्ट)

उपरिथति:-

श्री हरिमोहन जाट वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:-31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30.7.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां ने आदेश दिनांक 05.10.10 से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा किरम वंजर सिवायचक वाकै ग्राम सेवतीकलां से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है साथ ही अपीलान्ट पाश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण एक माह के सिविल कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है। इसकी अपील अति० जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में की गई। जिसमें अति० जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा वाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2018 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा नायब तहसीलदार मलारनाडूंगर का निर्णय 05.10.10 यथावत रखा गया। उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोजेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

31.1.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर




अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.10.2010 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। हर दो तहत अदालतों के आदेश न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बहरावण्डाकलां ने निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर विधिवत गौर नहीं किया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही अपीलान्ट को कोई विधिवत नोटिस जारी किया है। यदि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत रखता किन्तु अपीलान्ट को कोई मौका ही नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा प्रस्तुत एकतरफा अमल में लायी गई है। उक्त आराजीयात ख0न0 11 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट की कभी कोई पश्चातवर्ती अतिचार रहा है। केवल पटवारी हल्का की ओर से पेश की गई गलत रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है, जो निरस्तनीय है, क्योंकि पटवारी हल्का ने न तो वास्तविकता की जांच की तथा ना ही उक्त आराजीयात पर ही कभी गये। अदालत मातहत ने भी अपीलान्ट के एवं आसपास के खेत वालों के बयान नहीं लिये गये। पटवारी हल्का द्वारा अपने कार्यालय में बैठकर उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर यह निर्णय पारित किया है जो कतई अवैध व न्यायोचित नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा भी उक्त सभी बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया और अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि निरस्तनीय है। जबकि विवादित भूमि खसरा नम्बर 11 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम सेवतीकलां की सिवायचक भूमि पर न तो पूर्व में अपीलान्ट का कभी अतिक्रमण रहा है और न ही निर्णय वर्ष में ही कोई अतिक्रमण रहा है। नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां ने पटवारी हल्का की ओर से कार्यालय में बैठकर तैयार की गई गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट को विवादित भूमि से पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह के सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है, जबकि विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी होने का कोई साक्ष्य या दस्तावेज नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पत्रावली में संलग्न नहीं किए गए। विवादित आराजी खसरा नम्बर 11 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा वाकै ग्राम सेवतीकलां की सिवायचक भूमि पर से अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय से काफी पूर्व ही अपना अतिचार हटा लिया था। वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है और ना ही कभी भविष्य में कोई



45
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिक्रमण करेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.10.2010 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 निरस्त किया जाकर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्त के विरुद्ध ग्राम सेवतीकलां के खसरा नंबर 11 के 1 बीघा 10 बिस्वा में बाजरा व जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने व उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा अपीलान्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 05.10.2010 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। सुनवाई हेतु नियत तिथि को अपीलान्त के उपस्थित नहीं होने पर नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 05.10.2010 को बयान लिये। जिसमें पटवारी हल्का ने यह उल्लेख किया है कि अपीलान्त के द्वारा सम्वत् 2065 में भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया था। जिसकी पूर्व में रिपोर्ट पेश किये जाने पर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा दिनांक 12.02.2009 को निर्णय पारित किया था। जिसकी पालना में अतिचारी को बेदखल किया गया था। अतिचारी द्वारा सम्वत् 2067 में पुनः विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त भूमि पर अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिचारी होने व अतिक्रमण करने का आदतन होने का उल्लेख अपने बयान में किया। उक्त पत्रावली में नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 12.02.2009 व विवादित भूमि से बेदखल किये जाने की रिपोर्ट भी संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान के आधार पर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2010 को पारित किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान व पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2009 का उल्लेख करते हुए अपीलान्त को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए बेदखल किये जाने, 50 गुना शांस्ती आरोपित करने व एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया। उक्त निर्णय की प्रथम अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में किये जाने पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 में यह मानते हुए कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के विरुद्ध अतिचार किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने, अपीलान्त को सुनवाई/सबूत पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2009 के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचारी माना गया है। इस आधार पर अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पटवारी हल्का की ओर से अपीलान्त के विरुद्ध विवादित खंसरा नंबर 11 मिन में 2 बीघा भूमि पर सरसों



12/5
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

की फसल बोकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पेश की गई थी, परन्तु नायब तहसीलदार की ओर से 1 बीघा 10 विस्वा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने का नोटिस अपीलान्त को जारी किया गया है। उक्त नोटिस की अपीलान्त को विधिवत तामील होने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। सुनवाई हेतु नियत दिनांक को अपीलान्त की अनुपस्थिति मानकर पटवारी हल्का के पूर्व मुद्रित बयान फार्म में बयान लिए गए हैं। जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति की गई है। पटवारी हल्का द्वारा अपने बयान में सम्वत् 2065 में विवादित खसरा नंबर में अपीलान्त का रबी की फसल में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण होने पर निर्णय दिनांक 12.02.2009 की पालना में बेदखल किये जाने के कारण पश्चातवर्ती अतिचारी होने का उल्लेख किया है। इन बयानों को आधार मानकर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा अपीलान्त को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर बेदखली व शास्ती आरोपित किये जाने के साथ-साथ एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से जारी नोटिस की अपीलान्त को विधिवत तामील होने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है तथा पटवारी हल्का के बयान भी पूर्व मुद्रित फार्मेट में खाली स्थानों की पूर्ति करके लिए गए हैं। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2010 भी पूर्व मुद्रित निर्णय के प्रारूप में खाली स्थानों की पूर्ति करके किया गया है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक अपीलान्त के विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो पटवारी हल्का की ओर से अपने बयान में अपीलान्त को विवादित भूमि से निर्णय दिनांक 12.02.2009 की पालना में बेदखल किये जाने का उल्लेख किया है, परन्तु पत्रावली के साथ संलग्न फर्द जब्ती, फर्द नीलामी एवं भौतिक बेदखली की रिपोर्ट में बेदखल किये जाने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी ओर अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न तो रिपोर्ट वर्ष में और न ही पूर्व के वर्षों में होना बताया गया है। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.07.2018 में पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचार होना मानकर सिविल कारावास की सजा को उचित माना है। जबकि अदालत मातहत की पत्रावली में अपीलान्त को नोटिस की विधिवत तामील होने व सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2010 की पालना में अपीलान्त को बेदखल किये जाने व आरोपित शास्ती वसूल किये जाने का रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न है। इसलिए बेदखली व शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, परन्तु अपीलान्त का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार साबित नहीं होने के कारण अपीलाधीन निर्णय में पारित सिविल कारावास की सजा को यथावत रखा जाना उचित नहीं है।



७२५
संभागीय आयुक्त
भारतपुर संभाग, भारतपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां की ओर से पारित निर्णय दिनांक 05.10.2010 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 30.07.2018 में पश्चातवर्ती अतिचार मानकर दी गई एक माह की सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार बहरावण्डा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के संबंध में पटवारी हल्का से पुनः भौका रिपोर्ट प्राप्त करें। यदि अपीलान्त का विवादित भूमि पर अभी भी अतिक्रमण है तो पटवारी हल्का के विस्तृत बयान लेने, पूर्व में अतिक्रमण किये जाने पर की गई कार्यवाही/निर्णय की प्रति व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने की दिनांक आदि की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद सिविल कारावास के संबंध में पुनः नये सिरे से पूर्व मुद्रित निर्णय के प्रारूप की बजाय स्पष्ट व स्पीकिंग टंकित/हस्तलिखित निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(साँवर मल्ल वेमो)
 संभागीय आयुक्त, वर
 भारतपुर संभाग, भारतपुर